प्रेस विज्ञप्ति

12.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय) ईडी(, मुंबई जोनल कार्यालय ने मेसर्स उशदेव इंटरनेशनल लिमिटेड) यूआईएल (और अन्य द्वारा बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम) पीएमएलए(, 2002के प्रावधानों के तहत 10.09. 2024को अनंतिम रूप से भूमि और भवन के रूप में चल और अचल संपत्तियों और फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में बैंक खातों में पड़ी43 . 52करोड़ रुपये की राशि जब्त कर ली है।

ईडी ने1438 . 45करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में आईपीसी, 1860और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, बीएस और एफसी शाखा, मुंबई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स यूआईएल को कई बैंकों द्वारा ऋण के रूप में जो धनराशि दी गई थी, उसे अग्रिम और असुरक्षित ऋण की आड़ में विभिन्न संस्थाओं में भेज दिया गया था। बाद में, कई बैंक खातों के माध्यम से, उक्त धनराशि अंततः भारत स्थित कंपनियों को हस्तांतरित कर दी गई, जिसमें मेसर्स यूआईएल की विदेशी सहायक कंपनियां प्रमुख शेयरधारक हैं। इन सहायक कंपनियों का नियंत्रण और प्रबंधन मेसर्स यूआईएल के निदेशकों और प्रमुख शेयरधारकों द्वारा किया जाता था। इसके अलावा, मेसर्स यूआईएल को कई बैंकों से क्रेडिट सुविधाएं) फंड आधारित/गैर-फंड आधारित (दी गई थीं और बैंकों द्वारा दी गई उक्त धनराशि में से अधिकांश धनराशि मेसर्स यूआईएल द्वारा कई विदेशी संस्थाओं को भेज दी गई थी जिसे उसीके निदेशकों, प्रवर्तकों या शेयरधारकों द्वारा निगमित किया गया था। जांच के दौरान मेसर्स उशदेव इंटरनेशनल लिमिटेड और उनकी कंपनियों के निदेशकों और शेयरधारकों के समूह की भारत में पड़े43 . 52करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की गई, जो पीएमएलए, 2002की धारा 5 के तहत अनंतिम रूप से संलग्न की गई है। इससे पहले, फरवरी 2023 के महीने के दौरान, यूआईएल और अन्य संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों के परिसर में पीएमएलए के तहत तलाशी ली गई थी।

आगे की जांच जारी है।